



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन

शेखपुरा, पटना-800014

E-mail-office@bsacs.org

Phone No. 0612-2290278

Fax No. 0612-2282082

दिनांक-12/11/2013

पत्रांक-3255

प्रेषक,

संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0
परियोजना निदेशक,
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना

संजय कुमार, भा0प्र0से0
कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अररिया / औरंगाबाद / अरवल / बांका / बेगूसराय / कैमूर / भाजपुर / बक्सर / भागलपुर / दरभंगा /
लखीसराय / पूर्वी चंपारण / गया / कटिहार / जहानाबाद / गोपालगंज / छपरा / जमुई / खगड़िया /
किशनगंज / मधेपुरा / मधुबनी / मुंगेर / मुजफ्फरपुर / नालंदा / नवादा / पटना / पूर्णिया / रोहतास /
सहरसा / समस्तीपुर / शिवहर / सीतामढ़ी / सिवान / सुपौल / वैशाली / पश्चिमी चंपारण / शेखपुरा

विषय- अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिये रक्त की आपूर्ति हेतु Call Book System लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 24.09.13 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्राप्त निदेश के अनुसार, "रक्त आपूर्ति एच0 आई0 वी0 / एड्स मरीजों को बिना Replacement के रक्त अधिकोषों के द्वारा दिया जाना है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी रक्त अधिकोषों को पूर्व में ही पत्र निर्गत की जा चुकी है, परंतु इसके क्रियान्वयन में कमी पायी गयी है। इस संबंध में पी0 एम0 सी0 एच0 के रक्त अधिकोष के द्वारा Call Book पद्धति को पुनर्जीवित किया गया है। इस पद्धति को सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा सदर अस्पतालों में लागू की जानी है।"

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निदेशित किया जाता है कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा सदर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिये रक्त की आपूर्ति हेतु Call Book System लागू किया जाय।

12/11/2013
(संजय कुमार)

कार्यपालक निदेशक

पत्रांक-3255

प्रतिलिपि-

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

12/11/2013
कार्यपालक निदेशक

विश्वासभाजन

12/11/2013
(संजीव कुमार सिन्हा)
परियोजना निदेशक

पटना, दिनांक-12/11/13

12/11/2013
परियोजना निदेशक

ज्ञापक-3255
प्रतिलिपि-

पटना, दिनांक-12.11.13

1. अधीक्षक- पी० एम० सी० एच०, पटना/एन० एम० सी० एच०, पटना/ एस० के० एम० सी० एच०, मुजफ्फरपुर/ डी० एम० सी० एच०, दरभंगा/ ए० एन० एम० एम० सी० एच०, गया/ जे० एल० एन० एम० सी० एच०, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सिविल सर्जन- अररिया/औरंगाबाद/ अरवल/ बांका/ बेगूसराय/ कैमूर/ भोजपुर/ बक्सर/ भागलपुर/ दरभंगा/ लखीसराय/ पूर्वी चंपारण/ गया/ कटिहार/ जहानाबाद/ गोपालगंज/ छपरा/ जमुई/ खगड़िया/ किशनगंज/ मधेपुरा/ मधुबनी/ मुंगेर/ मुजफ्फरपुर/ नालंदा/ नवादा/ पटना/ पूर्णिया/ रोहतास/ सहरसा/ समस्तीपुर/ शिवहर/ सीतामढ़ी/ सिवान/ सुपौल/ वैशाली/ पश्चिमी चंपारण/ शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर परियोजना निदेशक